ब. र. का

भारतीय रेल
बनारस रेल इंजन कारखाना
वाराणसी-221004

कार्यालय : महाप्रबन्धक/कार्मिक

सं0- बरेका/पी/भर्ती/एक्ट अप्रे./47वां बैच/ ITI एवं Non ITI/24-25 दिनांक: 05/07/2025

अधिसूचना संख्या- 47वॉ बैच एक्ट अप्रैन्टिस 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 05/08/2025 को 16:45 बजे तक
ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि :- 05/08/2025 को 16;45 बजे तक
ऑनलाइन दस्तावेजों के अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि :-07/08/2025 को 16:45 बजे तक

1. अप्रैन्टिस एक्ट 1961 (47वॉ बैच ITI एवं NON ITI) के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रैन्टिस प्रशिक्षण हेतु ITI– 300 एवं Non ITI - 74 सीट के लिए रेलवे बोर्ड के पत्र सं ई(एम पी पी) 2009/6/14 दिनांक 06.10.2015 के निर्देशानुसार ऑनलाइन (On-Line) प्रक्रिया के माध्यम से नामिका बनाने का प्रस्ताव है। अप्रैन्टिसों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है । सीटों की संख्या, शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता का विवरण निम्नवत है-

2. **रिक्तियों ITI एवं Non ITI का विवरण:-**

ITI रिक्तियों का विवरण

क्र.सं.	ट्रेड	सीटों की संख्या					योग
		अज.(SC)	अजजा.(ST)	अ.पि.जा (OBC)	EWS	सामान्य (UR)	
1	Fitter	16	08	29	11	43	107
2	Carpenter	---	---	01	-	02	03
3	Painter(Gen.)	01	01	02	01	02	07
4	Machinist	10	05	18	07	27	67
5	Welder(G&E)	07	03	12	04	19	45
6	Electrician	11	05	19	07	29	71
Total-		45	22	81	30	122	300

Non ITI रिक्तियों का विवरण

क्र.सं.	ट्रेड	सीटों की संख्या					योग
		अज.(SC)	अजजा.(ST)	अ.पि.जा (OBC)	EWS	सामान्य (UR)	
1	Fitter	05	02	08	03	12	30
2	Carpenter	--	--	--	-	--	--
3	Painter(Gen.)	--	--	--	-	--	--
4	Machinist	02	01	04	02	06	15
5	Welder(G&E)	02	01	03	01	04	11
6	Electrician	03	01	05	02	07	18
Total-		12	05	20	08	29	74

i. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0-ई (एमपीपी)/2005/6/11 दिनांक-15/05/2006 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित सीटो में आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत 3% (कुल सीट ITI– 09 Non ITI - 02) सीटे आरक्षित होगी, जो उनके मूल समुदाय (UR/SC/ST/OBC) में ही दिया जाएगा ।

महाप्रबन्धक (का.) कार्यालय वाराणसी बनारस रेल इंजन कारखाना

B.L.W.

ii. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0- ई (एमपीपी)/2002/6/10 दिनांक-31/07/2006 के अनुसार अधिसूचित ट्रेडों की सीटो में निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत जवानों/अधिकारियों के लिए 3% (कुल सीट ITI– 09 एवं Non ITI -02)आरक्षित होगा । जो उनके मूल समुदाय (UR/SC/ST/OBC) में ही दिया जाएगा :-

a) भूतपूर्व सैनिकों ।
b) शांतिकाल के दौरान मारे गये/अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिको सहित मृतक/अशक्त भूतपूर्व सैनिको के बच्चे |
c) भूतपूर्व सैनिको के बच्चे ।
d) सेवारत जवानो के बच्चे ।
e) सेवारत अधिकारियों के बच्चों के लिए ।

iii. वांछित संख्या में **OBC,SC एवं ST** के अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर शेष सीट को निम्न अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ।

- **SC** → **ST**
- **ST** → **SC**
- **SC/ST** → **OBC/UR**
- **OBC** → **UR**
- **EWS** → **UR**

iv. सामुदायिक आरक्षण रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-**ई(एमपीपी)/2002/6/10 दिनांक-17/06/2011** एवं **पत्र सं0-2019-E(SCT) 1/25/1 दिनांक-07/02/2019** के अनुसार.- **SC-15%, ST-7.5%, OBC-27%,**एवं **EWS -10%** होगा ।

v. **आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं प्रमाण पत्र का सत्यापन :-**
EWS कोटे के अन्तगर्त आरक्षण का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जायेगा,जो अपने आय एवं संपत्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न अनुबन्ध-1)में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा :-

a) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / प्रथम श्रेणी के स्टीपेंडरी मैजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
c) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और
d) जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं,उस क्षेत्र के उप मंडलाधिकारी ।
e) **EWS** के अभ्यर्थी का **Income certificate 01/01/2025** के बाद का बना होना चाहिए ।

vi. **अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व** <u>Regional Directorates of Apprenticeship Training</u> (**RDAT**) **के बेबसाइड www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण करा कर,पंजीकरण संख्या प्राप्त** करना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व <u>Regional Directorates of Apprenticeship Training</u> (**RDAT**) का पंजीयन संख्या होना आवश्यक है,अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी ।

3. <u>शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता</u> :-

i. <u>Non ITI सीटों के लिए:-</u>

मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं । उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि **05/07/2025** से पूर्व अवश्य होनी चाहिए।

ii. <u>ITI सीटों के लिए:-</u>

मैट्रिकूलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा में 50% अंको या उससे अधिक अंकों के साथ तथा ITI की संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि **05/07/2025** से पूर्व अवश्य होनी चाहिए । यद्यपि ITI सीटों पर चयन हाई स्कूल में प्राप्त अंक के आधार पर होगा परंतु सम्बन्धित ट्रैड में ITI का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।

iii. उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल (Appearing) अभ्यर्थी आवेदन भरने के पात्र नहीं है, वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि - **05/07/2025** से पूर्व प्राप्त हो।

मंडल प्रबंधक (का)/कार्मिक
वाराणसी

iv. उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जायेगा ।

v. अधिसूचित सीटो के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदको के पास संबंधित ट्रेड में **National Council of Vocational Training / State Council Of Vocational Training** (NCVT/SCVT) के द्वारा जारी पूरे सेमेस्टर (semester) के अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि के पूर्व **05/07/2025** तक आवश्यक होनी चाहिए ।

4. आवेदको की आयु सीमा- की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/दिनांक- 05/08/2025 तक के अनुसार निम्न प्रकार होनी चाहिए :-

i. Non ITI सीटों के लिए :-

- Non ITI उम्मीदवार ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तथा वे 22 वर्ष से अधिक का न हो ।

ii. ITI सीटों के लिए:-

- संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार (वेल्डर एवं कारपेंटर ट्रेड को छोड़ कर) ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तथा वे 24 वर्ष से अधिक का न हो ।
- वेल्डर ट्रेड, एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा- 15 वर्ष से 22 वर्ष ही होगी ।

5. आयु सीमा में छूट:-

क्र.सं	समुदाय/श्रेणी	ऊपर आयु सीमा (अथवा) अधिकतम आयु सीमा में छूट
1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष
2	अन्य पिछडी जाति	03 वर्ष
3	दिव्यांग	UR-10 वर्ष, SC/ST-15 वर्ष, OBC-13 वर्ष
4	Ex-Serviceman जिन्होने अनुप्रमाणक के पश्चात कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा की हैं ।	प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल योग (प्लस) 3 वर्ष हो जो 10 वर्ष से अधिक न हो ।

6. दिव्यांग कोटा हेतु शारीरिक फ़िटनेस का मानक (अक्षमता की परिभाषाएं):-

i. लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी (Loco motor or Cerebral palsy) OH:- इस कोटि के अभ्यर्थी हड्डियों जोड़ों अथवा मासपेशियों की अक्षमता हैं जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हों अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की कोई स्थिति हों ।

क्र.सं	ट्रेड	शारीरिक फिटनेस का मानक (40% से कम नहीं हो)
1	Fitter	एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (Lower limb partially damaged from one side can be accommodated)
2	Carpenter	एक हाथ की तीन उंगली और पैर के बिना (One upper and lower limb partially damaged can be accommodated)
3	Painter(Gen.)	ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (one upper and lower limb partially damaged)
4	Machinist	एक छोटी उंगली क्षतिग्रस्त (only small finger damaged can join)
5	Welder(G&E)	एक हाथ की तीन उंगली और पैर के बिना(A person without leg and without three finger of one hand)
6	Electrician	एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (partially lower limb candidates can be accommodated)

ii. हियरिंग विकलांग (Hearing Handicapped) HH :- इस कोटि के चयनित अभ्यर्थी बेहतर कान में संवाद की फ्रिक्वेन्सी की रेंज 60 decibels अथवा अधिक हो ।

महाप्रबन्धक (का०) का कार्यालय वाराणसी

B.L.W.

iii. कम दृष्टि (Low Vision) VH :

जिसके स्टैंडर्ड रिफेक्टिव करेक्शन (Standard refractive correction) का उपचार होने के बाद भी दृश्यता की क्रियाएं सही नहीं हैं परंतु जिसमें उचित सहायक उपकरणों के उपयोग से किसी कार्य की योजना अथवा निष्पादन के कार्य विज़न के उपयोग से कर सकने की संभावनाए हैं ।

iv. अक्षमता कोटि (Persons with Disabilities) के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी (Medical Board duly constituted by the Central or State Government) द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण पत्र आवेदन में अवश्य संलग्न करें ।

3. चयन का आधार :-

i. उपरोक्त विधियों में ITI एवं Non ITI दोनों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के **मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार (न्यूनतम 50%)** पर मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जायेगा । ITI चयन में यद्यपि ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जायेगा परन्तु उन्हे ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जायेंगा केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र /अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।

ii. दो उम्मीदवारो के द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी ।

iii. अगर जन्मतिथि भी बराबर हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो, को वरीयता दी जायेगी ।

4. प्रशिक्षण :-

i. प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को बरेका के साथ अप्रेन्टिस करार (Apprentice ship Contract) करना होगा और सभी उम्मीदवारों को इस करार की सभी शर्तो का अनुपालन करना आवश्यक होगा ।

ii. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत रेलवे बोर्ड के मास्टर परिपत्र सं0-08/2002 दिनांक:- 22/07/2002 में उल्लेखित तत्संबंधित नियमों, प्रशिक्षक के आदेशों तथा Apprenticeship Contract की शर्तो का पालन करना होगा । पालन न करने पर प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा ।

iii. प्रशिक्षण की अवधि **National Council on Vocational Training / State Council Of Vocational Training (NCVT/SCVT)** प्रमाण पत्र के अनुसार होगी ।

iv. **वृत्तिका:-** प्रशिक्षण अवधि में अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं को वृत्तिका समय-समय पर रेलवे बोर्ड/श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार देय होगी ।

5. आवेदन करने के संम्बन्ध में सामान्य निर्देश :-

i. एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन (**ITI** अथवा **Non ITI**) भर सकता है,अत: भली-भांति सोच समझ कर ऑनलाइन आवेदन भरें । दोनों **(ITI एवं Non ITI)** में ऑनलाइन आवेदन करने पर आप की उम्मीदवारी दोनों में निरस्त कर दी जाएगी ।

ii. आवेदन शुल्क और शुल्क के भुगतान का माध्यम :-

a) आवेदन शुल्क (रु. **100/-**)सौ रूपये है | उम्मीदवार को दिनांक **05/08/2025** के **16:45** बजे तक पंजीकरण/ ऑनलाइन भुगतान की अनुमति है।

b) **डेबिट/ क्रेडिट कार्ड** या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

c) एक्ट अप्रेन्टिस की सीटो के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को (रु. **100/-) सौ रूपये** का भुगतान करना होगा और शुल्क भुगतान के लिये लागू सेवा प्रभारो को उम्मीदवार द्वारा ही स्वयं वहन करना होगा।

d) **आवेदन शुल्क रु. 100/-** किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायगा ।

e) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, दिव्यांग, एवं महिला अभ्यर्थियो को शुल्क का भुगतान अपेक्षित नही है, अर्थात उन्हे कोई फीस भुगतान नहीं करना है ।

f) **SC/ST/PWD/Female** को छोड़कर अन्य उम्मीदवारो द्वारा शुल्क जमा न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

6. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि:- 05/08/2025 16:45 बजे तक ।

7. आवश्यक सूचना:-

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरान्त भारतीय रेल तथा बरेका के द्वारा अप्रेन्टिसों को नौकरी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी । अप्रेन्सिशिप नियम 1992 (15/07/92 को अधिसूचित)के शेड्यूल v(ii) के पैरा-10 के अनुसार प्रशिक्षण एक्ट अप्रेन्टिसों को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है । उपरोक्त प्रावधान को भली भाँति नोट कर ले ।

वाराणसी

12. **<u>आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश :-</u>**

i. ब.रे.का.की अधिकृत वेबसाइट **"https://blw.indianrailways.gov.in/"** पर दिए गए लिंक **"blw.ITI/NON ITI"** अधिसूचना संख्या- 47वॉ बैच एक्ट अप्रैन्टिस 2024-25 के जरिये या **https://apprenticeblw.in** द्वारा ऑनलाइन (केवल एक) आवेदन पत्र (सभी अधिसूचित पदों ITI या Non ITI) प्रस्तुत करना होगा ।

ii. उम्मीदवार अपने सभी प्रमाण पत्र के दस्तावेज JPG/JPEG/BMP फार्मेट में हो, जिसका साइज 100 से 200 केबी (KB) में हो,अपलोड करें ।

iii. उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ JPG इमेज जिसका साइज 20 से 50 केबी होना चाहिए ।

iv. **ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ब.रे.का. की अधिकृत वेबसाइट पर दिये गए लिंक पर अपलोड (JPG इमेज) नही होने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दिये जायेगें :-**

a) हाईस्कूल (समकक्ष) अंक एवं प्रमाण पत्र (जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता के लिए)

b) ITI के अंक / प्रमाण पत्र, जो NCVT/SCVT से प्राधिकृत हो ।(ITI सीट के उम्मीदवार की तकनीकी योग्यता के लिए)

c) यदि SC/ST/OBC हो तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे । OBC प्रमाण पत्र (Non-Creamy layer) दिनांक:- **01.01.2025** को या इसके बाद का बना हो । Creamy layer में आने वाले अभ्यर्थियों को OBC का लाभ नहीं मिलेगा।

d) यदि दिव्यांग हो तो सरकारी चिकित्सालय के सी.एम.ओ/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग (OH/HH/VH) प्रमाण पत्र ।

e) यदि EX-Servicemen हो तो EX-Servicemen से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करे ।

f) आवेदन शुल्क का विवरण पोर्टल में अवश्य भरे एवं अपलोड करें ।

v. रंगीन 4 से° मी° x 5 से° मी° आकार का पासपोर्ट फोटोग्राफ (बैकग्राउंड सफेद) होना चाहिए, फोटो में उम्मीदवार का नाम एवं दिनांक सहित बिना किसी टोपी या सनग्लासेस का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए।

vi. साथ ही आप को निर्देश दिया जाता हैं, फोटो की कम से कम 08 (आठ) कॉपी भविष्य में एक्ट अप्रैन्टिस के तहत प्रशिक्षण हेतु सुरक्षित रखे ।

vii. ट्रेनिग हेतु योग्य पाये गये उम्मीदवारों की सूची बरेका के वेब साईट (**https://blw.indianrailways.gov.in/**) पर UPLOAD कर दी जायेगी ।

viii. सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जायेगा अत: चयनित अभ्यथियों को अल्प सूचना पर उक्त सभी मूल दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए एवं सत्यापन के कार्य में आपको एक या दो दिन रुकना भी पड़ सकता है इसके लिए आपको स्वयं इंतजाम करना होगा।

ix. चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानको के अनुरूप चिकित्सीय जाँच में फिट होना अनिवार्य होगा ।

x. चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आने एवं जाने में कोई मार्ग व्यय या यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

xi. अपूर्ण या गलत भरे गये आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे । किसी भी प्रकार की सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य ठहराया जायेगा। रेलवे के किसी परीक्षा से बहिष्कृत किए गए अभ्यर्थी के आवदेन पत्र को,यदि सम्बन्धित कोई सूचना प्राप्त होती है तो, अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

xii. रेलवे बोर्ड के पत्र सं ई(एम पी पी) 2009/6/14 दिनांक 06.10.2015 के निर्देशानुसार एवं समय-समय पर जारी निर्देशो के अर्न्तगत यह चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ।

xiii. **अधिसूचना या परिणाम में परिवर्तन का पूरा अधिकार बरेका प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा ।**

13. **उक्त पैरा-12 में उल्लेखित आवेदन पत्र निरस्त के कारणों के अलावा** बिना कारण बताये किसी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने का अधिकार बरेका के पास सुरक्षित रहेगा । आवेदन पत्र में उल्लेखित कोई भी विवरण या सूचना या प्रमाण पत्र अगर गलत/फर्जी पाया जाता है तो बिना नोटिस दिये उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जायेगा।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/कर्मशीला
बरेका /वाराणसी

महाप्रबन्धक (का) का कार्यालय
वाराणसी
बनारस रेल इंजन कारखाना

B.L.W.